A Pratibha Spandan's Journal

CONFLUENCE OF KNOWLEDGE
(A Multidisciplinary International Peer-Reviewed/Refereed Journal)
ISSN 2320–5237 | Volume 12, Issue 01, January-June, 2025
http://cok.pratibha-spandan.org | © The Author(s) 2025

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण

Vicky Singh
Research Scholar, Banasthali Vidyapeeth, Rajasthan

Read the Article Online

OPEN ACCESS

सारांश

भारत अपने इतिहास और संस्कृति की वजह से पूरे विश्व में एक विशेष स्थान रखता हैं। हमारा यह देश सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य शक्ति आदि में विश्व के बेहतरीन देशों में शामिल हैं। वैसे तो आजादी के बाद देश की इन स्थितियों में सुधार की पहल हुई लेकिन हालिया समय में इस क्षेत्रों में पहल तेज हुई हैं। इसके लिये समाज के मानव संसाधन को लगातार बेहतर, मजबूत व सशक्त किया जा रहा हैं और समाज की आधी आबादी स्त्रीयों की हैं, इस बाबत उनके लिये विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। डॉ अंबेडकर ने कहा था कि यदि किसी समाज की प्रगति के बारे सही-सही जानना है तो उस समाज की स्त्रियों की स्तिथि के बारे में जानो। कोई समाज कितना मजबूत हो सकता हैं, इसका अंदाजा इस बात से इसलिये लगाया जा सकता है, क्योंकि स्त्रियाँ किसी भी समाज की आधी आबादी हैं। प्रस्तुत शोध प्रत्र में महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित वर्तमान स्थिति व चुनौतियों के बारे में बताया गया हैं।

कुंजी शब्द: *महिला सशक्तिकरण*

प्रस्तावना

महिलाओं के साथ सदियों से भेदभाव बरता गया। पुरूष प्रधान समाज ने प्रत्येक क्षेत्र में औरत को एक वस्तु के रूप में उपयाग किया, महिलाओं की भेदभाव की स्थिति लगभग पूरी दुनिया में रही, इस दिशा में सकारात्मक प्रयास भी किये गये, 8 मार्च 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।

भारत में 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया, तथा महिलाओं के कल्याण हेतु पहली बार राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति बनाई गयी, जिसमें महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा में सहभागिता को सुनिश्चित कराया गया । सामाजिक आर्थिक नीतियां बनाने के लिये महिलाओं को प्रेरित करना। महिलाओं पुरुषों को समाज भागीदारी निभाने हेतु प्रोत्साहित करना । बालिकाओं एवं महिलाओं के प्रति विविध अपराधों के रूप में व्याप्त असमानताओं को खत्म करना । सरकार ने भी महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिये बहुत सारी योजनाओं की सुरूआत की थी । जिसमें इंदिरा महिला योजना, एक योजना 15 अगस्त 2001 को ऋण योजना शुरू की गयी जिसे 15 से 18 वर्षीय किशोरियों के लिये बनायी गयी । 63 व 64 वे संविधान द्वारा देशभर में ग्रामीण व नगरीय पंचायतों के सभी स्तर पर महिलाओं हेतु एक तिहाई सीट आरक्षित की गयी । भारत सरकार ने वर्ष 2001 में राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना करते हुये महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु भारतीय तलाक संशोधन 2001 अधिनियम पारित, 1 महिलाओं पर घरेलु हिंसा निरोधक अधिनियम 2001 । बालिका अनिवार्य शिक्षा एवं कल्याण विधेयक 2001 । परित्यक्ताओं हेतु गुजारा भत्ता अधिनियम 2001 |उपरोक्त सरकारी सुविधाओं के बावजूद अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया हैं। प्रथमता पुरूष वर्ग की प्रधानता समाज में आज भी बनीहै। नारी का शोषण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवार, सम्पति, वर का चयन,खेल, शासकीय सेवा, फिल्म, असंख्य कानून होने के बावजूद बने हैं। पर कुछ वर्षों से महिलायों की रहन सहन के सामाजिक स्तर में काफी बदलाव आये हैं। वेअपने जीवन में आज़ादी को मायने देती हैं।

भारत में लिंगानुपात की बात करें जो सन् 2011 की जनगणना के अनुसार 943 महिलायें हैं। इसका मतलब यह है कि 1000 पुरुषों की तुलना में 943 महिलायें हैं। वही अनुपात ग्रामीण क्षेत्र में 949 हैं। लेकिन जहां हम अपने आपको शहरों में रहते हुये आधुनिकतावादी और पढा लिखा मानते हैं यह अनुपात 929 हैं, जो हमारी संर्कीण मानसिकता को दर्शाता हैं। इसका सीधा कारण बेटियों के प्रति अस्वीकार्यता हैं। जिसमें भ्रूण हत्या भी शामिल हैं। शिक्षा की बात करें तो सन् 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 73 प्रतिशत साक्षरों में पुरुष साक्षरता 80.9 प्रतिशत और महिला साक्षरता 64.6 प्रतिशत हैं। वही इसकी तुलना सन् 2001 की जनगणना से करे तो पता चलता है कि महिलाओं की साक्षरता में सुधार हुआ तो है लेकिन वह सुधार प्राथमिक स्तर पर ही है। जैसा की हमें पता चला है पिछले कई वर्षों से 10 वीं 12 वीं की परीक्षाओं के परिणामों में बालिकाएँ, बालकों से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन परिवार एवं सामाजिक दबाव जैसे की कम आयु में विवाह, घर का काम काज, परिवार में महिलाओं के शिक्षा के प्रति उदासीनता एवं बालकों की पढाई की प्राथमिकता के चलते बालिकाओं की पढाई ज्यादातर वहीं समाप्त हो जाती है या उसकी कोई प्राथमिकता ही नहीं रहती ।

CONFLUENCE OF KNOWLEDGE
(A Multidisciplinary International Peer-Reviewed/Refereed Journal)
ISSN 2320–5237 | Volume 12, Issue 01, January-June, 2025
http://cok.pratibha-spandan.org | © The Author(s) 2025

अध्ययन की प्रासंगिकता

यह अध्ययन महिलाओं की समसामयिक स्थिति से संबद्धता रखता है। नारी की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक व विविध क्षेत्रों में समानता व स्वतंत्रता के परिमार्जन में वर्तमान में क्या अहम् भूमिका है, के यथार्थ को समझने का प्रयास इस अध्ययन में किया गया हैं। एक महिला ही समाज को सही मार्गदर्शन दे सकती हैं अतः सरकारी प्रयासों का सकारात्मक प्रचार-प्रसार कर महिला सशक्तिकरण में योगदान दिया जा सकता हैं। निश्चय ही यह अध्ययन महिलाओं के विविध विकास के परिप्रेक्ष्य की वास्तविकता को रेखांकित करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के वास्तविक पहलू को भी इंगित करता हैं। अतः यह अध्ययन महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की दृष्टि से अत्यंत ही प्रासंगिक रहा।

उद्देश्य

- महिला सशक्तिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान और नीतियों के प्रति अभिमत ।
- निर्णय क्षमता में महिलाओं की भूमिका के प्रति अभिमत ।
- महिलाओं की समाज व परिवार में भूमिका निर्वहन के प्रति अभिमत।
- महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश तथा संस्थागत संरचना की व्याखया करना।

शोध विधि

किसी भी अनुसंधान को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिये आवश्यक है कि प्रकृति के अनुरूप विधि का प्रयोग किया जाये । शोधार्थी द्वारा किये जाने वाले शोध कार्य में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण का अध्ययन किया गया है। शोध की प्रकृति दार्शनिक होने के कारण शोध हेतु दार्शनिक विधि का चयन किया गया हैं। शोधार्थी ने अपने शोध की प्रकृति से सम्बद्ध अन्य शोध प्रमाणों का अध्ययन किया, जिन्होंने दार्शनिक विधि को अपनाया।

वैश्विक स्तर पर महिला सशक्तिकरण:

ससांर भर की महिलाओं की स्थिति को स्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने वर्ष 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया था। मैक्सिको में महिला वर्ष का आरम्भ करते हुये राष्ट्र संघ के महासचिव डॉ. कुर्त वाल्दहाइम ने कहा था, 'महिलाओं के प्रति भेदभाव की नीति उतनी ही गम्भीर है, जितनी की अनाज की कमी और बढ़ती हुई जनसंख्या की है।' इसी तारतम्य में श्रीमति इन्द्रिरा गांधी ने कहा था कि –'यदि हम सुन्दर भविष्य प्राप्त कर सके तो यह न केवल महिलाओं के लिए बल्कि विश्व की सभी महिलाओं और पुरूषों के जिए होगा।"

सीडों

सीडों संधि महिला सशक्तिकरण और जेण्डर समानता की सूत्रधार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में अपनी साख बना चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए अभिसमय समिति ने अपने सामान्य संतुस्ति XII 1989 में शिफारिश की है, कि राज्य पक्षकारों को महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले किसी भी प्रकार के विशेषतः परिवार के भीतर उद्भुत होने वाली उत्पीड़न से संरक्षण देना चाहिये।

महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की रणनीति

- ऐसी महिलाओं और संस्थानों, जिन्होने सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य किया है, के योगदान और उपलब्धियों को सम्मान पहचान दिलाने के लिए शक्ति पुरस्कारों की स्थापना की गई है।
- महलाओं के प्रति हिंसा के लिए जिला स्तरीय समितियों के संचालन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त और मुसीबत में पड़ी महिलाओं के लिए हैल्पलाइन जारी की गई हैं।
- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने से संबंधित उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों पर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर समिति गठित की गई है।

CONFLUENCE OF KNOWLEDGE
(A Multidisciplinary International Peer-Reviewed/Refereed Journal)
ISSN 2320–5237 | Volume 12, Issue 01, January-June, 2025
http://cok.pratibha-spandan.org | © The Author(s) 2025

- महलाओं के अधिकारों के उल्लंघन की रिपोर्ट आन लाइन करने के लिए महिलाओं के सूचनार्थ एवं उन्हें सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय महिला संसाधन बोर्ड की स्थापना की गई है।

ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024-

वर्ल्ड इकनोमिक फोरम ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में वैश्विक लिंग अन्तर 68.5% ह। यह पिछले साल के मुकाबले 0.1% कम है। इस रिपोर्ट में भारत 146 देशों में से 129वें स्थान पर है।

ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के निष्कर्ष

- वर्तमान गति से साल 2024 में पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में 134 साल लगेंगे ।
- लड़कियों को उच्च शिक्षा से वंचित न होने देना चाहिए। उन्हं नौकरी कौशल देना चाहिए।
- कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। शादी के बाद उन्हे नौकरी बनाए रखने में मदद करनी चाहिए।

महला सशक्तिकरण हेतु संवैधानिक व्यावस्था

भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नही किया जाता है, इसी रूप् में आजादी की लडाई में महिलाओं ने कान्ति और अंहिसा दोनों रास्तों पर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर योगदान दिया।

निष्कर्ष व परिणाम

21 वीं सदी महिलाओं की सदी है। यही परिवर्तन की आहट है कि महिलाएं सफलता के शिखर पर आरूढ़ हो रही है। कामयाबी के साथ उनकी सामाजिक व आर्थिक तस्वीर बदल रही है समाज के सभी पुरूष वर्चस्व वाले क्षेत्रों में महिलाओं ने शानदार प्रवेश किया है। वर्तमान स्थिति में उसका परोक्ष-अपरोक्ष रूप से प्रवेश हो चुका है। आज तो कई ऐसी संस्थयें हैं जिन्हे केवल नारी ही संचालित कर रही हैं जिस नारी को मध्य युग में बेड़ियों से जकड़ दिया गया था उस युग से आज तक उसके संघर्ष की कहानी बड़ी ही लंबी एवं चुनौतीपूर्ण है परन्तु वह सफल हो रही है और आगे भी सफल होगी यह दैवीय योजना है। चाहकर भी कोई उसके बढ़ते कदमों को थाम नहीं सकता है। यही नारी की भवितत्ययता है और यह अत्यन्त सुखद भी है।

सुझाव

यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इतना आगे बढ़ने के बाद भी सच्चाई यह है कि हजारों वर्षों की यह मान्यता है कि महिला को पुरुष के संरक्षण की आवश्यकता होती है परिवर्तित नहीं है और इस कारण वह दोहरे मार से दबी रही है। आज भी उसको समाज में दायम दर्जे का स्थान मिलने पर अत्याचार, शोषण, अनाचार, कर रहा है उसकी जब चाहे तब बेईज्जती करने से नहीं चूक रहा है उसको नारी का हर क्षेत्र में आगे बढना हजम नहीं हो रहा हैं। अतः इस विषय पर शासन, स्वयं सेवी संगठनों, राजनेताओं, शिक्षाविदों, समाज सेवको एवं जनतन्त्र को अभी और चिन्तन एवं समाज की मानसिकता बदलने की आवश्कता है।

सन्दर्भ

भारत में महिलाओं से संबंधित साख्यिकी 2014ः निप्पसिड, नई दिल्ली
द्विवेदी रमेश प्रसाद, 2013: महिला सशक्तिकरण :चिन्तन एवं सरोकार, शंति प्रकाशन, अहमदाबाद
एस, अखिलेश व शुक्ला संध्या 2016: महिलाओं का विकास एवं सशक्तिकरण, गायत्री पब्लिकेशन, रीवा
कुरूक्षेत्र, 1964, पंचायती राज और महिला विकास, पाइंटर पब्लिशर्स, जयपुर ।
नारी सशक्तिकरण की समर्थक-शोरा भीजी।
नारी-विमला मैथिल ।
आजाद गुलाब सिंह, 2012, ग्रामीण क्षेत्र में महिला सशक्तिकरणः एक अध्ययन कोओपरोटर, नई दिल्ली ।
समाज कल्याण मार्च 2015 व 2015, केन्द्रिय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली
सत्येद्र नाथ मजुमदार, विवेकानन्द चरित्र, प्रकाशित 1971 ।
शरदचन्द्र चकवती, विवेकानंद जी के संग में, प्रभाव प्रकाशन, दिल्ली ।
सक्सेना एल. एस. पस्तकालय एवं समाज, भोपाल, हिन्दी ग्रंथ अकादमी 1998 पष्ठ 4-5